

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, केपिटल कॉम्पलेक्स,
नया रायपुर (छ.ग.)

क्र...../334/जसं./तशा/औजप्र/05/डी-4, नया रायपुर, दि. /09/2017
प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव कछार,
जल संसाधन विभाग,
विलासपुर (छ.ग.)

विषय :- मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन (इंडिया) लिमिटेड, (पूर्व में मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन प्रा.लि.) विलासपुर द्वारा जिला-कोरबा, तहसील-कटघोरा, ग्राम-कसाईपाली के निकट प्रस्तावित 30 मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट एवं कोल वॉशरीज हेतु खोलार नाला से स्वीकृत 2.16 मि.घ.मी. वार्षिक जल आबंटन में से, संस्थान द्वारा स्थापित 30 मेगावाट क्षमता की नवीन द्वितीय इकाई के लिए जल उपयोग की अनुमति।

- संदर्भ:- 1. शासन का पत्र क्रमांक-289-290/334/जसं./तशा/औजप्र/05/डी-4, दिनांक 18.01.2006.
2. प्रमुख अभियंता का पत्र क्र.-3451306/औजप्र/छ.ग./015/10795-10796, दिनांक 10.08.2015.
3. शासन का पत्र क्रमांक-4131-4132/7/जसं./तशा/औजप्र/01/डी-4, दिनांक 24.09.2016.

—00—

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, राज्य जल संसाधन उपयोग समिति, छत्तीसगढ़ की 40वीं बैठक, दिनांक 01.09.2016 में लिये गये निर्णयानुसार, मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन (इंडिया) लिमिटेड, (पूर्व में मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन प्रा.लि.) विलासपुर द्वारा जिला-कोरबा, तहसील-कटघोरा, ग्राम-कसाईपाली के निकट 30 मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट एवं कोल वॉशरीज हेतु खोलार नाला से, छ.ग. शासन के पत्र क्रमांक-289-290/334/जसं./तशा/औजप्र/05/डी-4, दिनांक 18.01.2006 द्वारा स्वीकृत 2.16 मि.घ.मी. वार्षिक जल आबंटन में से ही, संस्थान द्वारा स्थापित 30 मेगावाट क्षमता की नवीन द्वितीय इकाई के लिए जल उपयोग की अनुमति दी जाती है।

प्रकरण में शेष शर्तें जल आबंटन स्वीकृति पत्र क्रमांक-289-290/334/जसं./तशा/औजप्र/05/डी-4, दि.18.01.2006 के अनुसार यथावत् रहेंगी।

सहपत्र:-शून्य।

सह/-
(याकुब खेस्स)
संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

...2

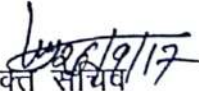
पृ. क्र. 5072/334/जसं./तशा/औजप्र/05/डी-4,

नया रायपुर, दि. 26/09/2017

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर को संदर्भित पत्रों के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, विलासपुर एवं
3. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा, जिला-कोरबा को सूचनार्थ एवं शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर को संदर्भित पत्र क्र.-1 एवं ऊर्जा विभाग के पत्र क्र.-1429/औ.जल नीति/13/2/2015, दिनांक 29.04.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
5. उप संचालक, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, रेणुका द्वार, शास्त्री चौक, रायपुर को संदर्भित पत्र क्र.-1 के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
- ✓ 6. उप महाप्रबंधक, मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन (इंडिया) लिमिटेड, चाकाबुड़ा, पो.आ.-जवाली, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा-495445 (छ.ग.) को उनके पत्र क्र.-ए.सी.वी. (इंडिया) लि./महाप्रबंधक/ज.सं.वि./14-15/0160, दिनांक 12.02.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन, आयाकट, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को उनके नोटशीट क्र.-17/OFF/मंत्री/ज.सं./आ./कृ.प.म./धा., दिनांक 28.01.2014 के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ अग्रेषित।

सहपत्र :- शून्य।


संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर